भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2060

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए आवास पहल

†2060. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मणिपुर में चल रहे संकट के मद्देनजर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के लिए कोई आवास पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए अब तक कितने आवासों का निर्माण किया गया है तथा निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ग) मणिपुर में निर्मित आवासों की संख्या कितनी है तथा उन स्थानों या राहत-सहायता स्थलों के नाम क्या हैं जहां निर्माण कार्य किया गया है; और
(घ) मणिपुर में आईडीपी के अंतर्गत आवास बनाने के लिए दिए गए और उपयोग की गई कुल निधि का जिला-वार और योजना-बार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उनके नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत मणिपुर सहित देश भर में पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभव से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में

कार्यान्वयन के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मांग सर्वेक्षण करते हैं और पात्रता का पता लगाने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करे, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक एकीकृत वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। पात्र नागरिक एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अपनी मांग दर्ज भी करा सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) योजना दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई स्तरों पर लाभार्थी सूची का चयन/संवीक्षा की जाती है। योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आवासों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार करने के लिए केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को भेज दिया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) को योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में शामिल कर सकती हैं, बशर्ते कि वे योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अन्यथा पात्र हों।

मणिपुर राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 56,045 आवासों (पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 3,526 आवासों सहित) को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 867.95 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। कुल स्वीकृत आवासों में से 49,846 का निर्माण शुरू हो चुका है और 24.11.2025 तक 20,591 आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। राज्य को अब तक 582.36 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है, जिसमें से 468.53 करोड़ रुपये का उपयोग राज्य द्वारा किया गया है।

*****